न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2018/326 दायर दिनांक 13.09.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मनाराम पुत्र आसूराम 2. दानाराम पुत्र आसूराम समस्त जाति जाट निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम	1. पुसाराम पुत्र दुलाराम 2. नारायणराम पुत्र दुलाराम 3. बेगाराम पुत्र दुलाराम 4. रामकुंवार पुत्र रतनाराम 5. जगदीशराम पुत्र रतनाराम 6. श्रवणराम पुत्र रतनाराम 7. छोटीदेवी पत्नि देवाराम 8. चोखाराम पुत्र उमाराम 9. पुर्णाराम पुत्र गोपीराम 10. राकेश पुत्र गोपीराम 11. जैसाराम पुत्र चीमनाराम 12. जैसाराम पुत्र बक्षूराम 13. किशनाराम पुत्र बक्षूराम 14. बजरंगलाल पुत्र मूलाराम 15. कमलादेवी पत्नि मूलाराम 16. जालूराम पुत्र तिलोकराम 17. लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम 18. हीरादेवी पुत्री बालूराम 19. प्रशान्त पुत्र हुक्माराम 20. राजेश पुत्र हुक्माराम 21. सीतादेवी पत्नि हुक्माराम 22. पूसाराम पुत्र दुलाराम 23. नारायणराम पुत्र दुलाराम 24. बेगाराम पुत्र दुलाराम 25. नानूराम पुत्र पुसाराम 26. गंगादेवी पत्नि रूपाराम 27. मोहनराम पुत्र हरजीराम 28. गिरधारीराम पुत्र हरजीराम 29. गोविन्दराम पुत्र हरजीराम 30. अर्जनराम पुत्र भंवराराम 31. हडमानाराम पुत्र भंवराराम 32. भगवानाराम पुत्र भंवराराम 33. पतासी पत्नि भंवराराम 34. लिछमणराम पुत्र बोदूराम 35. महेन्द्र पुत्र मेघाराम 36. सोहनीदेवी पत्नि मेघाराम 37. घेवरीदेवी पत्नि बोदुराम 38. रतनाराम पुत्र डुंगाराम 39. नाथूराम पुत्र आसूराम 40. जगदीशराम उर्फ जुगलकिशोर पुत्र आसूराम 41. भंवराराम पुत्र चुनाराम 42. गोपाराम पुत्र चुनाराम 43. मांगीलालउर्फ मांगूराम पुत्र चुनाराम समस्त जाति जाट निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर 44. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी हस्व धारा 88,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री समन्दरसिंह नाथावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजभरत राठी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 01,ता 03 व 39ता 43,।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **21.12.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा मावा पटवार हल्का मावा की शहरद मे खेत ख.न. 84 रकबा 05 बिस्वा, गैर मुमकिन बैरा खेत ख.न. 85 रकबा 53 बीघा 06 बिस्वा, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 50 ता 54 के दादा लूणा खोले सुखा के नाम सामलाती कब्जा काश्त की जमीन है।नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 पेश है।

कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 38 ता 42 एक ही दादा व पडदादा के वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादीगण 01 ता 03 व 38 ता 42 की वंशावली दावे मे पेश की गई है।

कि बन्नाराम के दो पुत्र हेमाराम सुखाराम, हुए। सुखाराम के कोई पुत्र नही हुआ तो सुखाराम ने हेमाराम के पुत्र लूणाराम को गौद लिया।लूणाराम अविवाहित ही आज से लगभग 50 वर्ष पहले फौत हो चुका है। लूणाराम के कोई पुत्र नही होने से अपने भाई गोमाराम के पुत्र आसूराम के पास रहता था और लूणाराम बीमार रहता था।लूणाराम काम काज व खेती नही करता था।इसलिए आसूराम ही लूणाराम का पालन पोषण करता था।तथा लूणाराम के बन्ट के खेत पर भी कब्जा काश्त वादीगण के पिता आसूराम का था। लूणाराम के फौत होने पर उनके बाहरवें पर सारे किया–कम आसूराम ने ही किये थे।तथा आज भी लूणाराम के बन्ट व कब्जे काश्त के सम्पुर्ण खेतो पर कब्जा काश्त आसूराम व उनके परिवार का ही है। आसूराम फौत हो चुके है।आसूराम के पॉच पुत्र नाथूराम, चुनाराम, मन्नाराम, जगदीशराम, दानाराम हुए। आसूराम का पुत्र चुनाराम भी फौत हो चुका है।स्व. चुनाराम के वारिसान में प्रतिवादीगण संख्या 41 ता 43 है।

कि स्व. लूणाराम खोले सुखा अविवाहित फौत हो जाने तथा स्व. लूणा खोले सुखा के स्थान पर उसका भतिजा आसूराम का ही उनके बन्ट में आये खेतो पर कब्जा काश्त है।लूणाराम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 39 ता 43 के दादा लगता है। स्व. स्व. लूणा खोले सुखा के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 39 ता 43 ही जायज वारिस व उतराधिकारी है।दुलाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को अन्य खेतो में से बन्ट में दे दिया है।

कि मौजा मावा पटवार हल्का मावा की शहरद मे खेत ख.न. 84 रकबा 05 बिस्वा, गैर मुमकिन बैरा खेत ख.न. 85 रकबा 53 बीघा 06 बिस्वा, लूणा खोले सुखा के 1/8 हिस्से की जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 39 ता 43 के बन्ट व कब्जा काश्त में होने के बावजूद खेतो की खातेदारी दर्ज नही होने से व प्रतिवादी संख्या 01 ता 38 का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2018/326
दायर दिनांक 13.09.2018, निणर्य दिनांक 21.12.2018
मनाराम वगैराह बनाम पुराराम वगैराह ।

नाम सामलाती खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 01 ता 38 जमीन बैचने के फिराक में होने पर व वादीगण द्वारा राज्य सरकार से समय –समय पर मिलने वाली योजना का लाभ नही उठा सकने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण 39 ता 43 के जायज खातेदारी अधिकार खतरे मे पड. गये है।वादीगण व प्रतिवादीगण 39 ता 43 अपने दादा लूणा खोलें सुखा के बन्ट की 1/8 हिस्से की जमीन अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है।घोषणा खातेदारी का दावा पेश है।

कि वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 38 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई इस्तदुआ नही चाही गई है।प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 38 का नाम उपरोक्त खेतो की खातेदारी में सहखातेदार के रूप में दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है।

कि सहखातेदारी लूणा खोले सुखा रतनाराम पुत्र डुँगाराम,देवाराम पुत्रउमाराम धापुदेवी पत्नि उमाराम राजूदेवी पत्नि पूसाराम चुकादेवी पत्नि दुलाराम बालूराम पुत्र तिलोकराम फौत होने से उनका नाम खातेदारी से हटाया जावे। इनके वारिसानो का नाम इस वाद में बतौर प्रतिवादीगण बनाया गये है।

प्रार्थना वादीगण है कि

कि वाद की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 38 इस अमर की सादर फरमाई जावें कि मौजा मावा पटवार हल्का मावा की शहरद मे खेत ख.न. 84 रकबा 05 बिस्वा, गैर मुमकिन बैरा खेत ख.न. 85 रकबा 53 बीघा 06 बिस्वा, में से लूणा खोले सुखा के बन्ट की 1/8 हिस्से की खातेदारी लूणा खोले सुखा के स्थान पर 1/8 हिस्से की खातेदारी आसूराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 39 ता 43 के नाम घोषित किया जावे। तथा खातेदारी मे से लूणा खोले सुखा रतनाराम पुत्र डुँगाराम,देवाराम पुत्रउमाराम धापुदेवी पत्नि उमाराम राजूदेवी पत्नि पूसाराम चुकादेवी पत्नि दुलाराम बालूराम पुत्र तिलोकराम फौत होने से उनका नाम खातेदारी से हटाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 44 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 39 ता 43 ने दिनांक 16.10.2018 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 39 ता 43 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री समन्दरसिंह ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजभरत राठी ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

वादीगण ने दिनाकं 21.12.2018 को एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 38 का नाम इस वाद से डिलिट किया जावे वादीगण ने इनके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही गई। वादीगण का वाद केवल लूणा खोले सुंखा के नाम दर्ज 1/8 हिस्से की खातेदारी बाबत घोषणा का है इससे प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 38 का हित प्रभावित नही हो रहा है।इस लिए वादीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2018/326
दायर दिनांक 13.09.2018, निर्णय दिनांक 21.12.2018
मनाराम वगैरह बनाम पुराराम वगैरह ।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।
अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, कि मौजा मावा पटवार हल्का मावा की शहरद मे खेत ख.न. 84 रकबा 05 बिस्वा, गैर मुमकिन बेरा खेत ख.न. 85 रकबा 53 बीघा 06 बिस्वा, में से लूणा खोले सुखा के बन्ट की 1/8 हिस्से की खातेदारी लूणा खोले सुखा के स्थान पर 1/8 हिस्से की खातेदारी आसूराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 39 ता 43 के नाम घोषित की जाती है। तथा उपरोक्त खेतो की खातेदारी मे से लूणा खोले सुखा फौत होने से उनका नाम खातेदारी से हटाया जाता है। अन्य शेष काश्तकार की खातेदारी यथावत रखी जाती है।राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **21.12.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2018/326 दायर दिनांक 13.09.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मनाराम पुत्र आसूराम 2. दानाराम पुत्र आसूराम समस्त जाति जाट निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. पुराराम पुत्र दुलाराम 2. नारायणराम पुत्र दुलाराम 3. बेगाराम पुत्र दुलाराम 4. रामकुंवार पुत्र रतनाराम 5. जगदीशराम पुत्र रतनाराम 6. श्रवणराम पुत्र रतनाराम 7. छोटीदेवी पत्नि देवाराम 8. चोखाराम पुत्र उमाराम 9. पुर्णाराम पुत्र गोपीराम 10. राकेश पुत्र गोपीराम 11. जैसाराम पुत्र चीमनाराम 12. जैसाराम पुत्र बक्षूराम 13. किशनाराम पुत्र बक्षूराम 14. बजरंगलाल पुत्र मूलाराम 15. कमलादेवी पत्नि मूलाराम 16. जालूराम पुत्र तिलोकराम 17. लक्ष्मणराम पुत्र बालूराम 18. हीरादेवी पुत्री बालूराम 19. प्रशान्त पुत्र हुक्माराम 20. राजेश पुत्र हुक्माराम 21. सीतादेवी पत्नि हुक्माराम 22. पूसाराम पुत्र दुलाराम 23. नारायणराम पुत्र दुलाराम 24. बेगाराम पुत्र दुलाराम 25. नानूराम पुत्र पुसाराम 26. गंगादेवी पत्नि रूपाराम 27. मोहनराम पुत्र हरजीराम 28. गिरधारीराम पुत्र हरजीराम 29. गोविन्दराम पुत्र हरजीराम 30. अर्जनराम पुत्र भंवराराम 31. हडमानाराम पुत्र भंवराराम 32. भगवानाराम पुत्र भंवराराम 33. पतासी पत्नि भंवराराम 34. लिछमणराम पुत्र बोदूराम 35. महेन्द्र पुत्र मेघाराम 36. सोहनीदेवी पत्नि मेघाराम 37. घेवरीदेवी पत्नि बोदुराम 38. रतनाराम पुत्र डुँगाराम 39. नाथूराम पुत्र आसूराम 40. जगदीशराम उर्फ जुगलकिशोर पुत्र आसूराम 41. भंवराराम पुत्र चुनाराम 42. नोपाराम पुत्र चुनाराम 43. मांगीलालउर्फ मांगूराम पुत्र चुनाराम समस्त जाति जाट निवासी मावा तहसील डीडवाना जिला नागौर 44. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2018/326
दायर दिनांक 13.09.2018, निर्णय दिनांक 21.12.2018
मनाराम वगैराह बनाम पुराराम वगैराह ।

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी हस्ब धारा 88,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 21.12.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री.वादीगण उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 व 39 ता 43 उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब वादी का वाद स्वीकार कर, वाके सरहद मौजा मावा पटवार हल्का मावा की शहरद मे खेत ख.न. 84 रकबा 05 बिस्वा, गैर मुमकिन बैरा खेत ख.न. 85 रकबा 53 बीघा 06 बिस्वा, में से लूणा खोले सुखा के बन्ट की 1/8 हिस्से की खातेदारी लूणा खोले सुखा के स्थान पर 1/8 हिस्से की खातेदारी आसूराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 39 ता 43 के नाम घोषित की जाती है। तथा उपरोक्त खेतो की खातेदारी मे से लूणा खोले सुखा फौत होने से उनका नाम खातेदारी से हटाया जाता है। अन्य शेष काश्तकार की खातेदारी यथावत रखी जाती है।राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

इसी अनुरूप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।
नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–............
......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.12..2018 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner